(221)

वित्तीय स्वीकृति/आयोजनागत

संख्याः 628(1)/XVII-3/11-07(04)/2006

प्रेषक,

एच0एच0 खान,
सचिव एवं आयुक्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी–नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग–3 देहरादूनः दिनांक 28 जून, 2011

विषयः **चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में अल्पसंख्यक समुदाय की बेरोजगार महिलाओं को सिलाई आदि का प्रशिक्षण योजना में वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाप्रबन्धक, अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम, देहरादून के पत्र संख्या–143 दिनांक 01 जून, 2011 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में अल्पसंख्यक समुदाय की बेरोजगार महिलाओं को सिलाई आदि का प्रशिक्षण योजना हेतु आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि रू0 50.00 **(रुपये पचास लाख मात्र)** की धनराशि को वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 209/XXVII(1)/2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 में उल्लिखित एवं वित्तीय वर्ष 2011–12 में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1. वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश संख्याः 209/XXVII(1)/2008 दिनांक 31 मार्च, 2011 में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. उक्त धनराशि इस आशय से निवर्तन पर रखी जा रही है कि उक्त मद की धनराशि व्यय करने से पूर्व योजनावार विस्तृत, औचित्य सहित प्रस्ताव उपलब्ध कराया जायेगा तथा शासन से व्यय की अनुमति/स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त धनराशि व्यय की जायेगी।
3. आयोजनागत/आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित अन्य धनराशि हेतु नियमानुसार मांग प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
4. अनुदान के अंतर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई न उत्पन्न हो।
5. आय–व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नए कार्यों के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाए।
6. यदि किसी योजना एवं मद में आय–व्ययक 2011–12 में बजट प्राविधान में प्राविधानित धनराशि से कम हो तो धनराशि आय–व्ययक प्राविधान की सीमा तक व्यय की जायेगी।

7. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसी मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।

8. यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवश्यकतानुसार आंवटित धनराशि के प्रत्येक बिल में चाहे वह वेतन आदि के संबंध में हो अथवा आकस्मिक व्यय के संबंध में, सम्पूर्ण मुख्य/लघु/उप तथा विस्तृत शीर्षक को अंकित किया जाए और प्रत्येक बिल में दाहिनी और लाल स्याही से अनुदान संख्या–15 तथा आयोजनागत शब्द स्पष्ट लिखा जाए, अन्यथा महालेखाकार, कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।

9. संलग्नक में वर्णित धनराशियों का समय से उपयोग करने के लिये यह भी सुनिश्चित कर लें कि धनराशि परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए। आवंटन एवं व्यय की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत कराया जाए।

10. यदि किसी अधिष्ठान/योजनाओं के अंतर्गत अतिरिक्त धनराशि की मांग का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

11. अप्रयुक्त धनराशि वित्तीय हस्त पुस्तिका के प्राविधानों के अंतर्गत समय–सारिणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन अपने एवं अधीनस्थ स्तरों पर भी सुनिश्चित करें।

13. समस्त चालू निर्माण कार्य, नए निर्माण कार्य, उपकरण व संयंत्र का क्रय, वाहन का क्रय एवं कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टेयर का क्रय की स्वीकृतियों के लिए औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को पृथक से उपलब्ध कराएं।

14. बी0एम0–13 पर संकलित मासिक सूचनाऐं नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

15. किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेन्ट रूल्स, 2008 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम) आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल्स) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कढ़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

16. यह उल्लेखनीय है कि शासन के व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

17. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–15 के आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक–4250–अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय–00–800–अन्य व्यय–07–बेराजगार अल्पसंख्यक महिलाओं को सिलाई आदि का प्रशिक्षण के मानक मद 30–निवेश/ऋण के नामे डाला जाएगा।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(एम0एच0 खान)
सचिव एवं आयुक्त।